

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- ओ.पी. ए.सी.बी नागौर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भू0 नि0 ब्यू0 जयपुर।
वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं. 69/22 दिनांक 3/3/2022

1. (I) अधिनियम :- पी0सी0 एक्ट. धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन)

2018

(II) अधिनियम भादस..... धारायें 120बी

(III) अधिनियम धारायें

(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 57 समय 3:40 P.M.....

(ब) अपराध घटने का दिन-बुधवार, दिनांक 02.03.2022 समय 12.32 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ...21.02.2022...समय..... 10.00 ए.एम.....

4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल:- नगर परिषद नागौर ।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- बजानिब उतर करीब 02 किमी

(ब) बीट संख्या..... जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना जिला

6. (i) परिवादी :-

(अ) नाम-श्री तेजाराम प्रजापत

(ब) पिता/पति का नाम- स्व. श्री नारायण राम

(स) जन्म तिथी- उम्र-50 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता - भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि

जारी होने की जगह

(र) व्यवसाय - खेती

(ल) पता-निवासी आर.एच.बी. कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-

3. श्री माणकचन्द सांखला पुत्र स्व. श्री छगनलाल सांखला जाति माली उम्र 59 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 42 राठौड़ी कुआ, पुलिस थाना कोतवाली जिला नागौर, हाल फोरमैन अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता वितरण शहरी जलप्रदाय योजना नगर परिषद नागौर,

4. श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री जंवरीलाल भाटी जाति माली उम्र 46 वर्ष निवासी बास बाईसर, पोस्ट ताउसर पुलिस थाना कोतवाली जिला नागौर हाल स्टोर मुन्शी कार्यालय सहायक अभियंता वितरण शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य- 1,25,400/-रु0 रिश्वत राशि

11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षितहो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
नागौर (राज0)

विषय:- नन्दकिशोर भाटी (नन्दू) ओडिटर (बाबू) व माणकचन्द सांखला चार्ज कनिष्ठ अभियन्ता वितरण, नगरिय जल प्रदाय योजना नगरपरिषद, नागौर को रंग हाथ पकड़वाने बाबत

Signature

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं तेजाराम प्रजापत पुत्र स्व. श्री नारायण राम जाति-कुम्हार उम्र 50 वर्ष निवासी आर.एच.बी. कॉलोनी नागौर का रहने वाला हूँ मेरी फर्म मै0 एम0 आर0 टी0 इन्फ्रा, नागौर है मेरे को नगर परिषद नागौर आयुक्त द्वारा कांकरिया पम्प हाउस का संचालन संधारण तथा इससे भरी जानी वाली टंकियों को भरना व सप्लाई देने का कार्य दिया हुआ था। माह जनवरी 2022 का रनिंग बिल राशि 1,03939 रू0 (By chegue कटौती के बाद) बनती है। उक्त राशि के पेटे ओडिटेर श्री नन्दू मुझसे 14.5% रुपये कमीशन के हिसाब से 15100 रू. कि मांग कर रहा है। जिसमें से 5000 रू0 नन्दू द्वारा मुझसे पूर्व में ले चूका है। अब मेरे से वो 10400रू (दस हजार चार सौ रुपये) रिश्वत की मांग कर रहा है। व माह-फरवरी 2022 का बिल नहीं बनाने की धमकी दे रहा है। फरवरी 2022 के बिल के कमिशन की राशि की मांग कर रहा है। श्री कनिष्ठ अभियंता माणकचन्द जी (वितरण जयन चार्ज) द्वारा मेरे द्वारा किये गये पाईप लाईन के तीन कार्यों कि sd, GST व EMD कि राशि लगभग 7-8 लाख रुपये लगभग 4-5 वर्षों से नगर परिषद मे जमा है। मेरे द्वारा बार-बार प्रार्थना पत्रों द्वारा निवेदन किया गया जिस पर माणकचन्द द्वारा उक्त राशि रिलिज करने कि एवज में कुल देय राशि का 50 प्रतिशत बतौर रिश्वत मांग कर रहा है। तथा मेरे द्वा यदि रिश्वेत नहीं प्रदान कि गई तो मेरी फर्म के विरुद्ध टिप्पणी अंकित कर राशि जप्त करने की धमकी दे रहा है। मैं उक्त दोनों वक्तियों को अपने वाजिब काम के बदल रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ रिश्वत लेते हू को रंग हाथ पकड़वाना चाहता हूँ मेरा इनसे कोई उधार लेन-देन तथा ना ही कोई रणजीस है। कानूनी कार्यवाही करवाने का श्रम करावे।

प्रार्थी

sd

(तेजाम पुत्र स्व. श्री नारायण राम)

मो0 नं0 9667764922

कार्यवाही पुलिस

दिनांक - 21.02.2022 समय :- 10.00 ए.एम. इस समय उक्त तहरिर रिपोर्ट तेजाराम प्रजापत पुत्र स्व. श्री नारायण राम जाति-कुम्हार उम्र 50 वर्ष निवासी आर.एच.बी. कॉलोनी नागौर ने चौकी हाजा पर उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश की जिस पर परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि मेरी फर्म मै0 एम0 आर0 टी0 इन्फ्रा, नागौर है मेरे को नगर परिषद नागौर आयुक्त द्वारा कांकरिया पम्प हाउस का संचालन संधारण तथा इससे भरी जानी वाली टंकियों को भरना व सप्लाई देने का कार्य दिया हुआ था। माह जनवरी 2022 का रनिंग बिल राशि 1,03939 रू0 (By chegue कटौती के बाद) बनती है। उक्त राशि के पेटे ओडिटेर श्री नन्दू मुझसे 14.5% रुपये कमीशन के हिसाब से 15100 रू. कि मांग कर रहा है। जिसमें से 5000 रू0 नन्दू द्वारा मुझसे पूर्व में ले चूका है। अब मेरे से वो 10400रू (दस हजार चार सौ रुपये) रिश्वत की मांग कर रहा है। व माह-फरवरी 2022 का बिल नहीं बनाने की धमकी दे रहा है। फरवरी 2022 के बिल के कमिशन की राशि की मांग कर रहा है। श्री कनिष्ठ अभियंता माणकचन्द जी (वितरण जयन चार्ज) द्वारा मेरे द्वारा किये गये पाईप लाईन के तीन कार्यों कि sd, GST व EMD कि राशि लगभग 7-8 लाख रुपये लगभग 4-5 वर्षों से नगर परिषद मे जमा है। मेरे द्वारा बार-बार प्रार्थना पत्रों द्वारा निवेदन किया गया जिस पर माणकचन्द द्वारा उक्त राशि रिलिज करने कि एवज में कुल देय राशि का 50 प्रतिशत बतौर रिश्वत मांग कर रहा है। तथा मेरे द्वा यदि रिश्वेत नहीं प्रदान कि गई तो मेरी फर्म के विरुद्ध टिप्पणी अंकित कर राशि जप्त करने की धमकी दे रहा है। मैं उक्त दोनों वक्तियों को अपने वाजिब काम के बदल रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ रिश्वत लेते हू को रंग हाथ पकड़वाना चाहता हूँ मेरा इनसे कोई उधार लेन-देन तथा ना ही कोई रणजीस है। कानूनी कार्यवाही करवाने का श्रम करावें। परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की मैंने आपको दिनांक 14.02.2022 को जरिये दूरभाष शिकायत की थी लेकिन मेरे घरेलू कारण से आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका। उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जानें पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का वॉईस रिकॉर्डर अलमारी में से निकाल कर परिवादी श्री तेजाराम को उसे ऑपरेट करने की समझाईस की गई तथा उसे समझाया की वह श्री माणकचन्द फोरमेन व श्री नन्दकिशोर स्टोर मुन्शी कार्यालय सहायक अभियंता वितरण शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर के पास जाकर अपने कार्य के संबंध में व लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करें तथा कार्यालय के श्री श्री कानाराम कानि. नम्बर 532 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ जानें की हिदायत की गई। तत्पश्चात श्री

Signature